संख्या– /XII-2/2015/83(07)/2013

प्रेषक,
शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवम् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर, 2015**

विषयः– उपखण्ड कार्यालय भवन, हल्द्वानी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 378/ग्रा0अ0से0/लेखा–दो–01/22–बजट/2015–16 दि0 19 मई, 2015 एवं सं0–1535/ग्रा0नि0वि0/ग्राम्य विकास/2015–16 दि0 08 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण निर्माण विभाग के आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर योजना अनावासीय भवनों का निर्माण योजना के अन्तर्गत उपखण्ड कार्यालय भवन, हल्द्वानी के निर्माण कार्य हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा जांचोपरान्त अनुमोदित कुल लागत रू0 24.21 लाख के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु रू0 15,00,000/– **(रू0 पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दि0 01 अप्रैल,2015 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id **S1510190074** है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर,

2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 00–800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद–24 बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय सं0–**79(NP)/XXVII(4)/2015, दि0 05 अक्टूबर, 2015** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–722(1)/XII–2/2015/83(07)/2013, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. आयुक्त कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. ✓ प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, RES (S039)

न पत्र संख्या - 722 /XII-2/2015/83(07)/2013

अलोटमेंट आई डी - S1510190074

ान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -05-Oct-2015

HOD Name - Chief Engineer RES (2231)

खा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

00 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के परिमण्डल/ प्रखण्ड के अना

00 -

03 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनावासीय भवनों का न

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	3500000	1500000	5000000
	3500000	**1500000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1500000